

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 18 / 2024

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, पिण्डवाडा जिला सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

श्री अक्षय कुमार माली पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जाति माली निवासी हनुमान मन्दिर के पीछे, सिरोही रोड, पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल मैनेजर सोलंकी मिष्ठान भण्डार, हनुमान गली के पीछे, अजयपुरा, पिण्डवाडा जिला सिरोही ।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.09.2024 को सुश्री सोनल राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से सोलंकी मिष्ठान भण्डार, हनुमान गली के पीछे, अजयपुरा, पिण्डवाडा जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं के द्वारा उपस्थिति दी गई, परन्तु जबाव पेश नहीं किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 23.09.2024 को सुश्री सोनल राणावत, प्रवर्तन निरीक्षक पिण्डवाडा एवं श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक सिरोही द्वारा संयुक्त रूप से सोलंकी मिष्ठान भण्डार, हनुमान गली के पीछे, अजयपुरा, पिण्डवाडा जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडा हुआ पाया गया, जिसका उपयोग रेस्टोरेन्ट पर नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो

20/12/24
जिला कलक्टर, सिरोही

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उपरोक्त दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों एवं उपकरण को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी के द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक ने मेरे घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ काम में लेने से कब्जे सरकार लिया गया है, परन्तु उक्त दिवस को मेरा घरेलू सिलेण्डर घर भरवाकर ले जाने के लिए दुकान पर रखा था, लेकिन व्यावसायिक सिलेण्डर खत्म होने से नौकरों ने लगा दिया, जिसमें उनकी बदनियती नहीं थी। मेरे द्वारा नौकरों को उक्त सिलेण्डर को हटाने के लिए कहा था, परन्तु उसी वक्त प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच करने पहुंचने पर उक्त सिलेण्डरों को जब्त कर लिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप करना फरमावे।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रतिष्ठान पर नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त निरीक्षण प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक सिलेण्डर खत्म होने से उनके द्वारा घर पर ले जाने हेतु गैस भरवाकर रखे हुए सिलेण्डर को काम में लिया गया था। मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर जिस भट्टी से जुड़ा हुआ था, उस भट्टी पर बढी कढाई में नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्रार्थी द्वारा परिसर को नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते हैं परन्तु सोलंकी मिष्ठान भण्डार, हनुमान गली के पीछे, अजयपुरा, पिण्डवाडा जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर उक्त निरीक्षण नाश्ता/मिठाई इत्यादि बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।




जिला कलेक्टर, सिरोही

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये दो गैस सिलेण्डरों मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए उक्त दो गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही